

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
13/03/25	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि देनदार न तो न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं ना ही बकाया राशि जमा करने की सूचना दे रहे हैं। अतः शाखा प्रबंधक से इस वाद का अद्यतन स्थिति की मांग करे। अभिलेख दिनांक 29/4/25 को रखें। नीलाम पत्र, पदाधिकारी धनबाद।	
29/4/25	अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रथम पक्ष उपस्थित। शाखा प्रबंधक के प्रतिवेदन प्राप्त, शाखा प्रबंधक के द्वारा प्रतिवेदित है कि देनदार द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक में जमा कर A/C Close कर दिया गया है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया है। नीलाम पत्र, पदाधिकारी धनबाद।	
30/4/25	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। देनदार को कई बार न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई परन्तु देनदार उपस्थित नहीं हुए। वाद काफी पुराना एवं लम्बे समय से विचाराधिन है। देनदार द्वारा बकाया का भुगतान कर दिया गया है। शाखा प्रबंधक के पत्र सं०-CHASNA/2025-26/01 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जा चुका है। अब वाद की कार्रवाई जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद लोकहित एवं कार्यहित में इस वाद की कार्यवाही रद्द की जाती है। लेखापति एवं शुद्धिकृत नीलाम पत्र, पदाधिकारी धनबाद। नीलाम पत्र, पदाधिकारी धनबाद।	